रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2106] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2016/भाद्र 4, 1938
No. 2106] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2016/BHADRA 4, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2016

का.आ. 2789(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना–2021 में इसके समीक्षा कार्य के भाग के रूप में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त सूचना की तिथि से पैंतालीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथा–अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 2183(अ), दिनांक 30.08.2014 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

2. जबकि प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था ।

3. जबकि केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना–2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है ।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11–क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से उक्त दिल्ली मुख्य योजना–2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधनः

क्र. सं.	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/आशोधन
1.	2.	3.
अध्यायः 13.0–सामाजिक आधारिक संरचना		
पैरा 13.10 शमशान घाट, कब्रगाह और कब्रिस्तान		
1.	वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के पास 59 षमशान घाट एवं 4 कब्रिस्तान हैं एवं दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास 53 कब्रिस्तान हैं।	वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के पास 59 षमशान घाट एवं 4 कब्रिस्तान हैं एवं दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास 53 कब्रिस्तान हैं।

	i) मौजूद षमशान घाटों में षवदाहगृह बनाए जाएंगे। ii) प्रस्तावित षहरी विस्तार में नए कब्रिस्तान/शवदाहगृहों/शमशान घाट/कब्रगाह आदि में उचित पार्किंग एवं भू–दृश्य प्रावधानों के साथ नियोजित किया जाएगा । भूमि उपलब्ध होने की शर्त पर 5.0 लाख तक की आबादी के लिए षमशान घाट के प्लॉट का क्षेत्रफल लगभग 0.4 हैक्टेयर होगा और 10 लाख की आबादी के लिए कब्रगाह और कब्रिस्तान के लिए 1.0 हैक्टेयर होगा।	i) मौजूद षमशान घाटों में षवदाहगृह बनाए जाएंगे। ii) प्रस्तावित षहरी विस्तार में कब्रिस्तान/शवदाहगृहों/शमशान घाट/कब्रगाह आदि में उचित पार्किंग एवं भू–दृश्य प्रावधान के साथ नियोजित किया जाएगा । भूमि उपलब्ध होने की षर्त पर 5.0 लाख तक की आबादी के लिए षमशान घाट के प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल **0.5 हैक्टेयर तक** होगा और 10 लाख की आबादी के लिए कब्रगाह और कब्रिस्तान के लिए 1.0 हैक्टेयर होगा । iii) **प्रस्तावित शहरी विस्तार में पालतू जानवरों एवं आवारा जानवरों के लिए नए कब्रगाह/शवदाहगृहों के लिए योजना बनाई जाएगी । इसके लिए प्रति 10 लाख की आबादी के लिए लगभग 0.2 हैक्टेयर क्षेत्रफल होगा ।** iv) **पालतू जानवरों के लिए कब्रगाह श्मशान घाट, कब्रगाह, कब्रिस्तान से अलग स्थित होना चाहिए ।**
अध्यायः 15.0–मिश्रित उपयोग विनियम		
पैरा 15.6.2 के नीचे के नोट्स		
2	**नोट्सः** षामिल नहीं होगा : 1 तैयार मार्बल उत्पादों का व्यापार जहाँ मार्बल की कटिंग और पॉलिश का कार्य न होता हो । 2 ग्रेवेल, रेत और सीमेंट की फुटकर की दुकानों को ई, एफ और जी श्रेणी की कॉलोनियों की अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों पर कम से कम 50 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉटों में अनुमति दी जाएगी, बषर्ते कि समस्त सामग्री प्लॉट परिसर में रखी जाए। 3 ऑटोमोबाइल्स के मामले में मरम्मत की दुकानों और वर्कषॉपों को मिश्रित उपयोग सड़कों से सटे प्लॉटों पर अथवा 30 मी. अथवा अधिक के मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) की व्यावसायिक सड़कों पर मना नहीं किया जाए ।	**नोट्सः** षामिल नहीं होगा : 1 तैयार मार्बल उत्पादों का व्यापार जहाँ मार्बल की कटिंग और पॉलिष का कार्य न होता हो । वहाँ 18 मीटर एवं उससे अधिक मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) वाली सड़क के समीप न्यूनतम 100 वर्ग मीटर आकार के आवासीय प्लॉट पर ही अनुमति दी जाएगी । अधिकतम अनुमेय तल कवरेज 50% होगा। 2 ग्रेवेल, रेत और सीमेंट की फुटकर की दुकानों को ई, एफ और जी श्रेणी की कॉलोनियों की अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों पर **18 मीटर एवं उससे अधिक मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) वाली सड़क के समीप कम से कम 100 वर्ग मीटर** आकार के आवासीय प्लॉट पर ही अनुमति दी जाएगी । बषर्ते कि सामग्री पूरी तरह से प्लॉट परिसर में रखी जाए । **अधिकतम अनुमेय तल कवरेज 50% होगा। इस संषोधन की अधिसूचना से पूर्व दि.मु.यो.–2021 के प्रावधानों के अनुरूप चल रही मौजूदा दुकानों को अनुमति होगी ।** 3 ऑटोमोबाइल्स के मामले में मरम्मत की दुकानों और वर्कषॉपों को मिश्रित उपयोग सड़कों से सटे प्लॉटों पर अथवा 30 मी. अथवा अधिक के मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) की व्यावसायिक सड़कों पर मना नहीं किया जाएगा ।

पैरा 15.8 व्यावसायिक कार्यकलाप		
3	i. व्यावसायिक कार्यकलापों से अभिप्राय उन कार्यकलापों से हैं, जो व्यावसायिक योग्यता से सम्बद्ध हों, अर्थात्— डॉक्टर, वकील, वास्तुविद् और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम्पनी सेक्रेटरी, कोस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट इंजीनियर, टाउन प्लानर मीडिया प्रोफेषनल एवं डॉक्यूमेंटरी फिल्म मेकर तथा प्रबंधन व्यवसायी । *	i. व्यावसायिक कार्यकलापों से अभिप्राय उन कार्यकलापों से हैं, जो व्यावसायिक योग्यता से सम्बद्ध हों, अर्थात्— डॉक्टर, वकील, वास्तुविद् और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम्पनी सेक्रेटरी, कोस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट इंजीनियर, टाउन प्लानर मीडिया प्रोफेषनल एवं डॉक्यूमेंटरी फिल्म मेकर प्रबंधन व्यवसायी* और डाइटिषियन/ न्यूट्रिषियनिस्ट।

[फा. सं. के—12011/3/2016—डी.डी.—I]
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2016

S.O. 2789(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2183(E), dated 30th August, 2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

S.No	Existing Provisions	Proposed Amendments/ Modifications
1	**2**	**3**
CHAPTER 13.0-SOCIAL INFRASTRUCTURE		
Para 13.10 CREMATION GROUND, BURIAL GROUND & CEMETERY		
1.	At present there are 59 cremation grounds and 4 graveyards (qabristans) of the MCD and Delhi Waqf Board has 53 burial grounds. i) In the existing cremation grounds, provision of cremation is to be made. ii) In proposed urban extension new burial grounds/ crematorium/ cremation grounds/ cemetery etc. are to be planned with proper parking and landscape provisions. The plot area to be about	At present there are 59 cremation grounds and 4 graveyards (qabristans) of the Municipal Corporation of Delhi and Delhi Waqf Board has 53 burial grounds. i) In the existing cremation grounds, provision of cremation is to be made. ii) In proposed urban extension new burial grounds/ crematorium/ cremation grounds/ cemetery etc. are to be planned with proper parking and landscape provisions. The plot area to be **up to 0.5 Ha**. per 5.0 lakh population for a

	0.4 Ha. per 5.0 lakh population for a cremation ground and upto 1.0 Ha. per 10 lakh population for a cemetery and burial ground subject to availability of land.	cremation ground and up to 1.0 Ha. per 10 lakh population for a cemetery and burial ground subject to availability of land. iii) **In proposed urban extension new burial grounds/ crematoriums are to be planned for pet and stray animals. The plot area to be up to 0.2 Ha. per 10 lakh population.** iv) **Burial Grounds for pet animals should be located separately from burial grounds, crematoriums and cemetery.**
CHAPTER 15.0-MIXED USE REGULATIONS		
Notes below Para 15.6.2		
2.	**Notes:** Will not include: 1. Business of finished marble products where cutting and polishing activity of marble is not undertaken. 2. Retail shops of gravel, sand and cement shall be permissible in residential plots at least 50 sq.m. in notified mixed use streets in E, F and G category colonies, provided that the material is kept entirely within the plot premises. 3. Repair shops and workshops in case of automobiles shall not be prohibited on plots abutting mixed-use streets or commercial streets of right of way (ROW) of 30m or more.	**Notes:** Will not include: 1. Business of finished marble products where cutting and polishing activity of marble is not undertaken **will be permitted only on residential plots of minimum 100 sqm size abutting ROW of 18m and above. The maximum permissible ground coverage shall be 50%.** 2. Retail shops of gravel, sand and cement shall be permissible in residential plots of **at least 100 sqm abutting ROW of 18m and above** in notified mixed use streets in E, F and G category colonies, provided that the material is kept entirely within the plot premises. **The maximum permissible ground coverage shall be 50%. The shops which were in existence in consonance with MPD-2021 provisions prior to notification of this amendment shall be allowed to continue.** 3. Repair shops and workshops in case of automobiles shall not be prohibited on plots abutting mixed-use streets or commercial streets of right of way (ROW) of 30m or more.
Para 15.8 Professional Activity		
3.	i. Professional activities shall mean those activities involving services based on professional skills namely Doctor, Lawyer, Architect, and Chartered Accountant, Company Secretary, Cost and Works Accountant, Engineer, Town Planner, Media Professionals and Documentary Film Maker and Management Professional*.	i. Professional activities shall mean those activities involving services based on professional skills namely Doctor, Lawyer, Architect, Chartered Accountant, Company Secretary, Cost and Works Accountant, Engineer, Town Planner, Media Professionals and Documentary Film Maker, Management Professional* **and Dietician/ Nutritionists.**

[F. No. K-12011/3/2016-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

RAJ KUMAR Digitally signed by RAJ KUMAR Date: 2016.08.27 15:20:49 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.